



अपने अधिकार जानें: यद आईसीई आपके घर आए तो

अप्रलेखित प्रवासियों सहित, अमेरिका में रह रहे सभी लोगों के पास अमेरिकी संविधान के दएि हुए कुछ अधिकार हैं। यद आप अप्रलेखित हैं और इमीग्रेशन (आईसीई) एजेंट आपके घर आते हैं, तो जानें क आपके पास ये अधिकार हैं:

आपको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको दरवाज़ा खोलने या उन अधिकारियों को तब तक अपने घर में अंदर आने की इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षर कया गया मान्य सर्च वारंट न हो।

आईसीई नरिवासन वारंट और सर्च वारंट समान नहीं हैं। यद उनके पास बस यही दस्तावेज़ हो, फरि भी कानूनी तौर पर वे घर के अंदर तब तक नहीं आ सकते, जब तक आप उनके अंदर आने के लएि मौखिक सहमति न दें।

यद अधिकारी कहे क उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षर कया गया सर्च वारंट है, तो उन्हें वह वारंट दरवाजे के नीचे से सरकाने या खड़िकी से दखाने के लएि कहे।

यद वारंट के ऊपर आपका सही नाम और पता न लिखा हो और जज का हस्ताक्षर उस पर न कएि गए हों, तब आपको दरवाज़ा खोलने या फरि उन्हें अंदर आने देने की ज़रूरत नहीं है।

यद आप कसी समय अधिकारियों से बात करने का नरिणय करते हैं, तो ऐसा करने के लएि आपको दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे दरवाजे से बात कर सकते हैं या बाहर आकर दरवाजा बंद कर सकते हैं।

आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आपको इमीग्रेशन अधिकारियों से कोई बात करने या उनके कसी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।

यद आपसे पूछा जाता है क आपका जन्म कहां हुआ था या आपने अमेरिका में कैसे प्रवेश कया था, तो आप उत्तर देने से इनकार कर सकते हैं या चुप रह सकते हैं।

यद आप चुप रहने का वकिल्प चुनते हैं, तो कहे, "मैं चुप रहने का वकिल्प चुनता हूँ।"

आप अधिकारी को **अपने अधिकार जानएि कार्ड (अंगरेजी)** दखिा सकते हैं, जसमें यह स्पष्ट कया गया है क आप चुप रहेगे तथा अपने वकील से बात करना चाहते हैं।

आप पहचान दस्तावेज़ दखाने से भी मना कर सकते हैं, जस पर लिखा हो क आप कसि देश से हैं।

कोई फ़र्ज़ी दस्तावेज़ न दखिए और न उनसे झूठ बोलें।

आपके पास वकील से बात करने का अधिकार है। यद आपको हरिसत में लया जाता है या गरिफ्तार कया जाता है, तो आपके पास अटार्नी का अनुरोध करने और अपने अटार्नी से फ़ोन कॉल प्राप्त करने का अधिकार है। डटिशन सेंटर के नयिमों को समझने के लएि **डटिनी हैडबुक** की कॉपी की मांगिए।

यद आपका वकील नहीं भी है, तो भी आप इमीग्रेशन अधिकारियों से कह सकते हैं क आप वकील से बात करना चाहेंगे।

यद आपका अपना वकील हो, तो आपके पास उनसे बात करने का अधिकार है। यद आपने **फ़ॉर्म जी-28** पर हस्ताक्षर कएि हैं, जो बताता है क आपके पास वकील है, तो वह फ़ॉर्म ऑफिसर को दें।

यद आपका कोई वकील नहीं है, तो इमीग्रेशन अधिकारियों से नःशुल्क वकीलों की सूची मांगिए।

आपके पास अपने वाणज्यिक दूतावास से संपर्क करने का अधिकार भी है। वाणज्यिक दूतावास आपको वकील का पता लगाने में मदद कर सकता है।

आप कसी/सभी कागज़ों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, जब तक आपको वकील से बात करने का मौका मलि न जाए।

यद आप वकील से बात कएि बनिा कसी चीज पर हस्ताक्षर करना चुनते हैं, तो उस पर हस्ताक्षर करने से पहले सुनश्चिति करें क आप भली-भांति यह समझते हैं क दस्तावेज़ में क्या कहा गया है और उसके क्या मायने हैं।

यद आपके खाते में 10 दिन के बाद पर्याप्त राशि नहीं है, तो आपको परिवार के सदस्यों या मतिरों के साथ मुफ्त फ़ोन कॉल करके बात करने का अनुरोध करने का अधिकार है।

यह फ़्लायर केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के प्रयोजन से है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लया जाना चाहिए। आपको सक्रम और लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन अटार्नी की सलाह लएि बनिा इस फ़्लायर में दी गई कसी जानकारी पर न तो कार्य करना चाहिए और न भरोसा करना चाहिए। यह आपके केस पर कसि प्रकार से लागू होगा, इसके बारे में अधिक जानकारी के लएि, कृपया अपने इमीग्रेशन अटार्नी से संपर्क करें या <https://www.ailalawyer.org/> पर इमीग्रेशन अटार्नी ढूंढें।

